

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रावतसर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाबुलाल पुत्र सोनाराम बांकाराम पुत्र सोनाराम पुत्र सोनाराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर	2 सोनाराम 3 देवाराम 4 पपुराम पुत्र सोनाराम	1.पीराराम पुत्र चूतराराम जाट चूनाराम पुत्र मेघाराम पुत्र मेघाराम मेघाराम चेनाराम पुत्र रेखाराम पुत्र मुकनाराम मुकनाराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-99/2021 दिनांक-08.11.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1678/279 रकबा 78.11 बीघा, खसरा नंबर 1680/257 रकबा 15.03 बीघा खसरा नंबर 1685/268 रकबा 1.00 बीघा कुल रकबा 94.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

संक्रमांक/रीडर/2021/ 6206-6209

दिनांक- 08/11/2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित का सूचनार्थ एव पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी बाबुलाल पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण पीराराम पुत्र चूतराराम वगैराह जाति जाट निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर